दिल्ली विधान समा तथिवालय

समाचार भाग-2

क्षेतिथायी तथा अन्य मामलों ते संबंधित तामान्य जानकारी क्षे तोमवार, 14 तितम्बर, 1998 / माद्रपद 23, 1920 क्षेत्रक

संख्या : 422

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को तम्बोधित पुलित उपायुक्त, पूर्वी जिला दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 10.09.1998 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि श्री बृह्म पाल दियायक दिल्ली विधान सभा को विल्ली विकास प्राधिकरण दारा स्थानीय पुलिस की सहायता ते वसुन्थरा इन्कलेंब में विध्वंत कार्यक्रम देडेमोलिशन प्रोगाम के दौरान स्थानीय पुलिस दारा दिये गये विधि-सम्मत् निर्देशों का पालन न करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 2. 9. 98 को अपराहन 4. 26 बजे नज़रबंद किया गया और उन्हें 2. 9. 1998 को ही अपराहन 5. 05 बजे रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Monday, September 14, 1998/ Bhadrapad 23, 1920 (Baka)

No. 422

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker,
Delhi Vidhan Sabha was received from Deputy Commissioner of Police,
East District, Delhi on 10.09.1998 :-

Shri Brahm Pal, MLA was detained u/s 65 of Delhi Police Act on 02.09.98 at 4.26 P.M. for failing to comply with the reasonable direction given by local police during the demolition programme fixed by DDA authorities with the assistance of local Police at Vasundhara Enclave and was subsequently released on 02.09.98 at 5.05 P.M.*